

भारत सरकार  
विदेश मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या - 1029  
दिनांक 05.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

अवैध प्रवास पर रोक

**1029** श्री मुरारी लाल मीना;

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

- (क) क्या तथाकथित "डंकी रूट" के माध्यम से विदेश भेजने के नाम पर भारतीय नागरिकों के साथ बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी की जा रही है;
- (ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में दर्ज ऐसे मामलों की संख्या कितनी है;
- (ग) क्या सरकार के पास उन देशों के बारे में आंकड़े हैं जहां से पिछले तीन वर्षों के दौरान "डंकी रूट" के माध्यम से विदेश पहुँचे भारतीय नागरिकों को हथकड़ी लगाकर या हिरासत में लेकर भारत वापस भेजा गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) इस प्रकार की मानव तस्करी और अवैध प्रवास की घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अब तक उठाए गए ठोस कदमों का ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) क्या सरकार ने ऐसे एजेंटों, ट्रेवल कंपनियों या दलालों के खिलाफ कोई विशेष अभियान या अंतरराष्ट्रीय सहयोग की पहल शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क से ङ) विदेश मंत्रालय द्वारा 'डंकी रूट' सहित अन्य देशों में तस्करी के मामलों के पंजीकरण से संबंधित आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। अधिकांश देश निर्वासित भारतीयों का विवरण साझा नहीं करते हैं। जब भी अवैध

प्रवास/मानव तस्करी की शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो उन्हें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के संगत कानूनी प्रावधानों के तहत जांच और अभियोजन के लिए राज्य सरकार को प्रेषित किया जाता है।

पिछले तीन वर्षों में अवैध प्रवास, ओवरस्टे, आपराधिक दोषसिद्धि आदि सहित विभिन्न आधारों पर अमेरिका से भारत निर्वासित किए गए भारतीय नागरिकों की संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	अमेरिका से निर्वासित किए गए भारतीयों की संख्या
2023	617
2024	1368
2025 (21 नवंबर तक)	3155

सरकार विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और भारत से केवल वैध प्रवास को प्रोत्साहित करती है। विदेश मंत्रालय सुरक्षित और वैध प्रवासन के लाभों और जाली या अपंजीकृत भर्ती एजेंसियों के माध्यम से होने वाले अवैध प्रवासन को रोकने के संभावित तरीकों के बारे में विभिन्न हितधारकों को जागरूक बनाने के लिए नियमित रूप से आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

अवैध एजेंटों के बारे में जानकारी ई-माइग्रेट पोर्टल पर भी नियमित आधार पर अपलोड और अद्यतन की जाती है। विदेश मंत्रालय समय-समय पर फर्जी जॉब रैकेट के बारे में परामर्शी, मीडिया ब्रीफिंग और ट्वीट भी जारी करता है। इस प्रकार की परामर्शी विदेश स्थित संबंधित भारतीय मिशनों / केन्द्रों द्वारा उनकी वेबसाइटों और सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से भी और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जारी की जाती हैं।

गृह मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर अवैध आप्रवासन और सीमा सुरक्षा से संबंधित मुद्दे से निपटने के लिए अनेक उपाय किए हैं। गृह मंत्रालय ने अपने सीमा सुरक्षा बलों के माध्यम से, अवैध आप्रवासन से निपटने और

सीमा सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें सीमा निगरानी में वृद्धि, सीमावर्ती अवसरचना को मजबूत बनाना, नियमित गश्त और चेकपॉइंट बनाना, आसूचना और समन्वय, सीमा पार आवाजाही विनियमित करना, सामुदायिक संपर्क और जागरूकता एवं सीमा पार सहयोग शामिल हैं।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारें मानव तस्करी और अवैध प्रवासन से संबंधित अपराधों पर रोक लगाने, उनका पता लगाने, उनकी जांच और अभियोजन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार भारत भर में स्थित 16 उत्प्रवासी संरक्षक (पीओई) कार्यालयों के समन्वय में परामर्शी, जन जागरूकता और सूचना साझा करके राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की पहलों में सहायता प्रदान करती हैं। अनेक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर संयुक्त छापेमारी की है और अवैध प्रवासन में शामिल अवैध एजेंटों और नेटवर्क के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की है, जिसमें प्राथमिकी दर्ज करना भी शामिल है। एनआईए सहित विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों ने भी मानव तस्करी से संबंधित मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने के उद्देश्य से अनेक व्यक्तियों की पहचान की है, जो एक सतत प्रक्रिया है।

\*\*\*\*\*